



-प्रेस नोट-

दिनांक -06.07.2026.

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त दिलशाद पुत्र अनवार अहमद निवासी अल्ला वाली गली कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1472/25 मु०अ०सं० 275/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर (मा० न्या० अपर सिविल जज (जू०डि०) चतुर्थ कोर्ट नं० 33 सहारनपुर) में कमेला कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिलशाद पुत्र अनवार अहमद निवासी अल्ला वाली गली कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री सुशील पंवार थाना मण्डी सहारनपुर
2. का० 1531 विक्रान्त कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
3. रि०का० 1251 आशीष कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।



दिनांक: 06-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 ट्रैक्टर मय ट्राली अवैध खनन सहित मौके पर सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं उपजिलाधिकारी बेहट व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अदद महेन्द्रा ट्रैक्टर 585 Dixp PLUS चैचिस न0 MBNGAANKBSTM01407 मय ट्राली खनन सामग्री सहित को मौके से सीज किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहन का विवरण

01 महेन्द्रा ट्रैक्टर 585 Dixp PLUS अवैध खनन सामग्री सहित

वाहन जब्त करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. शबनम खातून (राजस्व लेखपाल)



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा यूकेलिपिटस के पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये पेड़ की लकड़ी बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 19.06.2026 को वादिया ग्राम प्रधान अंजू देवी पत्नी नरेश कुमार निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नीटू पुत्र नकली पता अज्ञात द्वारा ग्राम समाज की जमीन से एक पेड़ यूकेलिपिटस काटकर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पेड़ चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त नीटू पुत्र नकली निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को छपरैडी मोड़ पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर यूकेलिपिटस पेड़ की लकड़ी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीटू पुत्र नकली निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ यूकेलिपिटस के 05 बोटा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. है0का0 342 आशीष थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. है0का0 286 मोहित शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक -06.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण – दिनांक 04.06.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त तौफीक पुत्र सत्तार निवासी ग्राम लण्डौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनि0 पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तौफीक पुत्र सत्तार नि0 ग्राम लण्डौरा गुर्जर थाना रामपुर मनि0 स0पुर को ब्रांच रोड नियर होण्डा शोरूम रुद्रप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभि0 तौफीक पुत्र सत्तार नि0 ग्राम लण्डौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. है0का0 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर



दिनांक- 06.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला 01 अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.07.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शांतिर अभियुक्त प्रदीप उर्फ काका पुत्र रजिन्द्र निवासी मौ० नया बांस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ ककराला रोड ईदगाह के आगे से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त प्रदीप उर्फ काका उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 303/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- प्रदीप उर्फ काका पुत्र रजिन्द्र निवासी मौ० नया बांस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 तमंचा मय जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 279/21 धारा 8,20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 308/2025 धारा 305(a),317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 386/25 धारा 3,4,25,27 आर्म्स एक्ट व 109(1),3(5) भा०द०वि० थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 687/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. मु०अ०सं० 686/2022 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 303/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ०नि० श्री कुलवंत सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. हे०का० 640 अंकुर तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का० 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. रि०का० 1400 आशुतोष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 06.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 05/07/2026 को वादी रहमान पुत्र जमशेद निवासी मौहल्ला बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 04/07/26 के दोपहर करीब 03.30 बजे अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 332/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेण कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05/07/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **01 वाहन चोर अभियुक्त रजत पुत्र कुलदीप उर्फ सिताब सिंह निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को ग्राम बुढ़ढाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजत पुत्र कुलदीप उर्फ सिताब सिंह निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 01 चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11CR6368

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 91/23 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 157/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 213/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 316/24 धारा 414/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 149/23 धारा 414/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 109/23 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 110/23 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 365/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 977 दाऊद रजा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक- 06.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध पशु कटान करते 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 मृत कटिया/भैंस व पशु कटान के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 01 छोटी परात स्टील, 01 प्लेट स्टील, 03 लोहे के हुक, 01 अदद चापड़, व 01 कम्प्यूटरराईजड कांटा, 02 अदद नाजायज छुरी) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से पशु कटान की रोकथाम व अवैध रूप से मांस के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान अवैध रूप से पशु कटान करते 02 शातिर अभियुक्तगण 1. अजीम पुत्र बहार अहमद निवासी दाऊद सराय निकट दाऊद सराय मस्जिद राघंडो का पुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 2. सादीक पुत्र राशीद निवासी मो0 शीराजान निवासी निकच मोची वाली मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर को निसार रोड फईम मीट वाले की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 01 मृत कटिया/भैंस व कटान के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 01 स्टील की परात, 01 प्लेट स्टील, 03 लोहे के हुक, 01 चापड़, 01 झाबा व 02 अदद छुरी नाजायज बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 332/2026 धारा 271/272 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण - अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर एक साथ बताया कि यह दुकान फईम की है, हम लोग मौका देखकर यहा बिना अनुमति के पशु कटान का काम करते हैं और मांस को अन्य मांस की दुकानों पर सप्लाय कर देते हैं। जो पैसा मिलता है उसको आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. अजीम पुत्र बहार अहमद निवासी दाऊद सराय निकट दाऊद सराय मस्जिद राघंडो का पुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. सादीक पुत्र राशीद निवासी मो0 शीराजान निवासी निकट मोची वाली मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 मृत कटिया अध कटी हुई, गर्दन व पैर कटे हुए (अवशेष)
- पशु कटान के उपकरण - (01 कुल्हाड़ी, 01 छोटी परात स्टील, 01 प्लेट स्टील, 03 लोहे के हुकनुमा कांटे, 01 अदद चापड़, व 01 कम्प्यूटरराईजड तौल कांटा मय झाबा)
- 02 अदद नाजायज छुरी (एक-एक नाजायज छुरी अभियुक्तवार)

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त सादिक) -

1. मु0अ0सं0- 410/2017 धारा 135 भारतीय विधुत अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 170/2020 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1233 विपिन राणा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 09 महबूब अली थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 848 कपिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. का0 1570 रवि कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 06.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति भंग की आशंका के दृष्टिगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत ग्राम चहलौली में पुराने विवाद को लेकर आमदा फसाद हो रहे 02 अभियुक्तगण 1. मसरूर पुत्र जमीर निवासी ग्राम चहलौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर व 2. शहजाद पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम चहलौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मसरूर पुत्र जमीर निवासी ग्राम चहलौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. शहजाद पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम चहलौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय कुमार राणा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2211 राहुल यादव थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 06-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित
के खाते में 90393/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि आवेदक तोसिफ पुत्र सलीम निवासी उनाली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 90393/- रुपये धोखाधड़ी करके साइबर ठगी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर दिनांक 13.03.2026 को साइबर कम्प्लैन्ट न0- 33103260054289 के 47000/- रुपये एवं दिनांक 17.06.2026 को साइबर कम्प्लैन्ट नम्बर 33106260141405 के माध्यम से 43393/- रुपये कटने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा थाना हाजा पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी शत-प्रतिशत धनराशि 90393/- रुपये आवेदक मौ0 तोसिफ उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी है। आवेदक तोसिफ उपरोक्त द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।
4. कम्प0आप0 ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत

05 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संचन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 05 अभियुक्तगण 1. विक्की पुत्र सोनी उर्फ सोनू 2. राहुल पुत्र सोनी उर्फ सोनू 3. रितिक पुत्र राकेश 4. रोहित पुत्र सूरज निवासीगण इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र नवाबगंज से व 5. गोलू राघव पुत्र अमर सिंह राघव निवासी मोरगंज, चौन्ताला थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को अपनी पत्नी के साथ आमदा फसाद करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. विक्की पुत्र सोनी उर्फ सोनू उम्र 30 वर्ष निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. राहुल पुत्र सोनी उर्फ सोनू निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रितिक पुत्र राकेश निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
4. रोहित पुत्र सूरज निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
5. गोलू राघव पुत्र अमर सिंह राघव निवासी मोरगंज, चौन्ताला थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1335 नेमीशरण थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 1300 छैबिन्द्र थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 06-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा दुकान से रुपये चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से चोरी गये रुपयों में से 4700/- रुपये बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 05.07.2026 को वादी श्री फरहाद आलम पुत्र शब्बीर निवासी मोहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सावन थापा पुत्र पप्पू 2.तरुण उर्फ टुण्डी पुत्र सूरज निवासीगण बाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की दुकान के गल्ले से 30000 रुपये चोरी कर लेने तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 276/26 धारा 303(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तगण 1.तरुण उर्फ टूण्डी पुत्र सूरज निवासी बाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. सावन पुत्र सतीश कुमार उर्फ पप्पू निवासी बाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर को सीएचसी बेहट के सामने पूर्वी यमुना नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामातलाशी से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कुल 4700/- रुपये (1.अभियुक्त सावन से 1990 रु व 2. अभियुक्त तरुण उर्फ टूण्डी से 2710 रु0) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. तरुण उर्फ टूण्डी पुत्र सूरज निवासी बाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. सावन पुत्र सतीश कुमार उर्फ पप्पू निवासी बाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास - (अभियुक्त तरुण उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 38/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 409/2025 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास - (अभियुक्त तरुण उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 454/2023 धारा 414 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 4700/- रु नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
2. का0 1802 बिट्टू कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
3. का0 2458 कमल कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 410 सिद्धार्थ कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।



दिनांक 06-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर द्वारा **दहेज हत्या के मुकदमें में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 90 हजार रुपये (प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा -**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2020 को वादी श्री धर्मपाल पुत्र आत्माराम निवासी रशीदगढ़ थाना- थानाभवन जनपद शामली की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सौरभ पुत्र नरेन्द्र, 2.सुदेश पत्नी नरेन्द्र व 3.नरेन्द्र पुत्र नकली निवासीगण ग्राम पदमनगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री सुमन को दहेज के लिये प्रताडित करने व मांग पूरी न होने पर गला घोटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 57/2020 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 थाना नकुड़ पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1238/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -10 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 06.07.2026 को अभियुक्तगण 1. सौरभ पुत्र नरेन्द्र, 2. सुदेश पत्नी नरेन्द्र व 3. नरेन्द्र पुत्र नकली निवासीगण ग्राम पदमनगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-57/2020 धारा-302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व कुल 90 हजार रुपये (प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- अभियुक्तगण को धारा 498ए/304बी व 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह

विवेचक - क्षेत्राधिकारी श्री यतेन्द्र सिंह नागर

पैरोकार- का0 1974 देवेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर